

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/भर्ती-2013/एम-80/2019/

दिनांक:-

संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर,
जोन-जयपुर।

विषय.-अवमानना याचिका संख्या 501/2019 अन्तर्गत एस.बी.सिरिट पिटिशन संख्या 17829/2016 मोहम्मद साजिद बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2018 की पालना के क्रम में।

संदर्भ:- आपके पत्र क्रमांक 5508 दिनांक 02.06.2016 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अवमानना याचिका संख्या 501/2019 अन्तर्गत एस.बी.सिरिट पिटिशन संख्या 17829/2016 मोहम्मद साजिद बनाम सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2018 की पालना में नर्स द्वितीय के पद पर कार्यग्रहण करावे। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2018 में याचिकाकर्ता को नोशनल लाभ दिये जाने के विरुद्ध डी.बी. अपील दायर की गई है। फलस्वरूप याचिकाकर्ता को डी.बी. अपील में निर्णय होने तक नोशनल लाभ नहीं दिया जावे।

५

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक - नर्सिंग/नर्स-2/भर्ती-2013/एम-80/2019/412

दिनांक - 31.7.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है.-

- 1 प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 21935 दिनांक 01.08.2016 के क्रम में।
- 2 श्री विभूति भूषण शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
- 3 उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
- 4 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (नर्सिंग) एवं समन्वयक, मुख्यालय।
- 5 याचिकाकर्ता को घर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
- 6 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
- 7 आदेश/रक्षित पत्रावली।

५

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर